बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
परिवेश भवन, पाटलिपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र, पटना-800010

अ0सं0:- 115 पटना, दिनांक:- 22-10-20

अधिसूचना

खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0सं0–प्र0–01 ल0ख0 (ब्रिक)–42/20–2645/एम., दिनांक 14–09–2020 के अनुसार ईंट भट्ठा के उद्देश्य से ईंट मिट्टी के उत्खनन को खनन गतिविधि नहीं मानी गयी है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति/पर्यावरणीय सहमति आवश्यक नहीं है, यदि खनन की गहराई समीपवर्ती जमीन स्तर से डेढ़ (1.5) मीटर से अधिक नहीं हो।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना का.आ. 1224(अ), दिनांक 28–03–2020 के द्वारा ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें राज्य सरकार द्वारा गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है, को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छुट प्राप्त है।

अतः एतद् द्वारा उपर्युक्त वर्णित अधिसूचना के आलोक में बिहार राज्य में अवस्थित ईंट भट्ठों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति हेतु आवेदन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य नहीं होगा, यदि खनन की गहराई समीपवर्ती जमीन स्तर से डेढ़ (1.5) मीटर से अधिक नहीं हो।

अन्य शर्त्तें पूर्ववत् रहेंगी।

22/10/20
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

दूरभाष नं०- 0612-2261250/2262265, फैक्स-0612-2261050